(TO BE PUBLISHED IN THE PART-IV OF DELHI GAZETTE)
(EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
TRANSPORT DEPARTMENT 5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-110054

TRANSPORT DEPARTMENT

Delhi, the 04th March, 2014

NOTIFICATION

No.F.19 (95)/Tpt./Sectt/2010/54 . — In exercise of the powers conferred by **section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988** (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment in the Notification issued vide No.F.19 (95)/Tpt./Sectt/2010/04 dated the 20th April, 2011, namely:- In the end of the said notification, the words and figure-

"This notification shall be valid till March 31st, 2012" shall be omitted.

By Order in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Gyanesh Bharti
Commissioner (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण मे प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(परिवहन विभाग)

5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110 054.

दिनांक 06 मार्च 2014.

<u>अधिसूचना</u>

सं.फा. 19/95/परि0/सचि0/2010/54 – दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2011 सं0फा0 19/95/परि0/सचि0/2010/04 के अनुसार जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते है अर्थात् उक्त अधिसूचना के अन्त में शब्द तथा संख्या के अन्त में –

"यह अधिसूचना 31 मार्च, 2012 तक वैध रहेगी" हटाई जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती

(ज्ञानेश भारती)

आयुक्त (परिवहन)

(4) Principal Secretary (Home) Govt. of NCT of Delhi —Member
(5) Commissioner of Police, Delhi- Member

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :

(1) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi —Chairman
(2) Principal Secretary (L & J) Govt. of NCT of Delhi —Member
(3) Principal Secretary (Home) Govt. of NCT of Delhi — Member
(4) Commissioner of Police, Delhi — Member

By Order and in the Name of
Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सं. फा. 21/60/सचिव/एसटीए/2009/16.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 68 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु राज्य परिवहन अधिकरण को निम्न रूप से पुनर्गठित करते हैं:–

1. सचिव एवं आयुक्त, परिवहन –अध्यक्ष
2. श्री सजीव झा, विधायक, बुराड़ी –सदस्य
3. श्री मदन लाल, विधायक, कस्तूरबा नगर –सदस्य
4. विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात –सदस्य
5. सचिव, एसटीए –सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती, आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2014

No. F. 21/60/Secy/STA/2009/16 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with clause (41) of Section 2 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby re-constitutes the State Transport Authority for the National Capital Territory of Delhi as under :—

1.	Secretary-cum-Commissioner, Transport	—Chairman
2.	Sh. Sanjiv Jha , MLA, Burari	—Member
3.	Sh. Madan Lal, MLA, Kasturba Nagar	—Member
4.	Special Commissioner of Police, Traffic	—Member
5.	Secretary, STA	—Member- Secretary

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
GYANESH BHARTI, Commissioner (Tpt.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 5] DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935 [N.C.T.D. No. 214

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

सं. फा.सचि/11/75/परि./1997/पार्ट.-3/04.— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 11 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 52 (अ) के खंड (ड.) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा इस सरकार की दिनांक 18 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. फा.सचि.11/75/975 में निम्नलिखित संशोधन करती है तथा आगे निम्नानुसार आदेश करती है:—

क. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना में खंड (क), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर वाहन के ऊपर सामने फ्लैशर वाली लालबत्ती का प्रयोग;

(1) उपराज्यपाल;

(2) मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा;

(3) न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय "

ख. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना में खंड(ख), में प्रविष्टि संख्या 1, 2, तथा 3 हटाई जाएंगी:—

ग. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना का खंड(ग) हटाया जाएगा तथा खंड (घ) खंड (ग) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: क्रमांकित किये गये खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्:—

"फ्लैशर वाली लालबत्ती केवल तभी प्रयोग की जा सकेगी जब विनिर्दिष्ट उच्च पदाधिकारी ड्यूटी पर है, अन्यथा नहीं";

(घ) इस सरकार की दिनांक 25 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या फा. सचि/11/75/परि./1997/78 तथा दिनांक 25 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. सचि/11/75/परि./1997/79 एतद्द्वारा तत्काल वापिस ली जाती हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविन्द रे, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2014

No. F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/04.—In pursuance of clause (e) of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highway's Notification No. S.O. 52 (E) dated the 11th January, 2002, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in this Government's Notification No. F. Sectt./11/75/975 dated the 18th February, 2003, and makes further order as under:—

A. In the said Notification dated 18th February, 2003, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) Use of red light with flasher on the top front of the vehicle within the jurisdiction of the National Capital Territory of Delhi,—

(1) Lieutenant Governor;

(2) Chief Justice of High Court of Delhi;

(3) Judges of High Court of Delhi.".

B. In this said Notification dated 18th February, 2003, in clause (b), entries 1, 2 and 3 shall be omitted;

C. In the said Notification dated 18th February, 2003, clause (c) shall be omitted and clause (d) shall be re-numbered as clause (c), and in clause (c) so re-numbered, in the end, the following words shall the added, namely:—

"The red light with flasher can be used only while the specified high dignitary is on duty and not otherwise.";

D. This Government's Notifications No. F. Sectt./11/75 Tpt./1997/78 dated the 25th February, 2013 and No. F.Sectt./11/75 Tpt/1997/79 dated 25th February, 2013 are hereby withdrawn with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND RAY, Pr. Secy.-cum-Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

And, whereas, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

In the entry at Sl.No.1 in Part-A, for the sub entry at Sl.No.57, the following shall be substituted, namely:-

"(57) Grand Duchy of Luxembourg

For official use:

All purchases made against a single tax invoice subject to the restriction that the minimum invoice limit shall be Rs.9000/- excluding tax.

For personal use of diplomats:

i) The minimum invoice limit shall be Rs.18,000/- excluding tax.
ii) Exemption/Refund of VAT shall not be granted on food items, drinks and meals."

PRASHANT GOYAL, Commissioner Value Added Tax

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2013

सं. फा. एम.एल.ओ./टी.यू./परि.वि./2013/105,— इस संबंध में पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप–धारा (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त उप–धारा (1) के खंड (घ) के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश देते है, अर्थात ;—

1. इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की रेडियो टैक्सी–2006 तथा इकनोमी रेडियो टैक्सी–2010 के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा,—

(क) रेडियो टैक्सी स्कीम–2006

(i) किराया प्रति किलो मीटर	23/–रूपये
(ii) रात्रि प्रभार —	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार —	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रूपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)

(iv) फ्लैग डाउन प्रभार – 3 किलोमीटर के लिए

(ख) इकनोमी रेडियो टैक्सी–2010

(i) किराया प्रति किलो मीटर	12 रूपये 50 पैसे
(ii) रात्रि प्रभार –	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार –	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रूपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)
(iv) फ्लैग डाउन प्रभार –	3 किलोमीटर के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
पुनीत के. गोयल, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 20th June, 2013

No.F. MLO/TU/TPT/ 2013/105, - In supersession of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely:-

From the date of publication of this notification in the Official Gazette, the fares chargeable by the operators of Radio Taxi – 2006 and Economy Radio Taxi - 2010, in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows :-

(A) Radio Taxi Scheme - 2006

(i) Fare per Kilometer	Rupees 23/-
(ii) Night Charges :	25% of the fare (11:00 P.M. to 5:00 A.M.)
(iii) Waiting Charges :	Rupees 30/- per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);
(iv) Flag down Charges	For 3 Kilometers

2761 DG/13-2

(B) **Economy Radio Taxi - 2010**

(i)	Fare per Kilometer	Rupees 12.50/-
(ii)	Night Charges :	25% of the fare (11:00 P.M to 5:00 A.M.)
(iii)	Waiting Charges	Rupees 30/- per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);
(iv)	Flag down Charges	For 3 Kilometers

By the order in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET K. GOEL, Secy. cum Commissioner (Tpt)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]	दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2013/वैशाख 18, 1935	[रा.रा.रा. क्षे. सं. 30
No. 77]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2013/VAISAKHA 18, 1935	[N.C.T.D. No. 30

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2013

सं. फा. 23(488)/परि.वि./ऑपरेशन/2010/197.—इस संबंध में पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त उप-धारा (1) के खंड (घ) के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली को निम्नलिखित निदेश देते हैं, अर्थात्:—

1. इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आटो रिक्शा तथा टैक्सी (काली तथा पीली छत) के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा :—

(क) ऑटो रिक्शा

(i) किराया - (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रुपये के प्रभारों सहित)	प्रथम दो किलोमीटर के लिये 25 रुपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये 8.00 रुपये
(ii) रात्रि प्रभार -	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार -	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रुपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)
(iv) सामान प्रभार	7.50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा ।

(ख) टैक्सी (काली और पीली छत)

(i) किराया - (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रुपये के प्रभारों सहित)	पहले 1 किलोमीटर के लिये 25 रुपये (मीटर डाउन करने पर) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये नॉन एसी टैक्सी 14.00 रुपये तथा एसी टैक्सी के लिए 16.00 रुपये प्रति किलोमीटर
(ii) रात्रि प्रभार -	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार -	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रुपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)
(iv) सामान प्रभार -	10 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत के. गोयल, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2013

No. F. 23(488)Tpt/Ops/2010/197.—In supersession of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely:—

From the date of publication of this notification in the Official Gazette, the fares chargeable by the operators of Auto Rickshaws & Taxis (Black & Yellow Top), in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows:—

(A) Auto Rickshaws

(i) Fare (including Rupees 0.50 charges for GPS/GPRS/Control room and dispatch centre for facilitating Auto Rickshaw on demand) :	Rupees 25 for first fall of 2 Kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rupess 8.00 per kilometer for every additional kilometer.
(ii) Night Charges :	25% of the Fare (11:00 P.M. to 5:00 A.M.);
(iii) Waiting Charges :	Rupees 30 per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);
(iv) Luggage Charges :	Rupees 7.50 shall be charged as Extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small attache/suitcase.

(B) Taxis (Black & Yellow Top)

(i) Fare (including Rupees 0.50 charges for GPS/GPRS/Control room and dispatch centre for facilitaing taxi on demand) : kilometer;	Rupees 25 for first kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rupees 14 per kilometer for Non-AC Taxis and Rupees 16 per kilometer for AC Taxis for every additional
(ii) Night Charges:	25% of the fare (11:00 P.M. to 5:00 A.M.);
(iii) Waiting Charges :	Rupess 30 per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);

(iv) Luggage Charges : Rupees 10 shall be charged as Extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small attache/suitcase.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PUNEET K. GOEL, Secy.-cum-Commissioner

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2013

सं.फा. 711/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 11 की उप धारा (10), सहपठित मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु योजना, 1996 के पैरा 12 जो कि अधिसूचना सं. 16/नियम/डीएचसी, दिनांक 29-01-1996 के द्वारा अधिसूचित एवं पुनः अधिसूचना सं. 174/नियम/डीएचसी दिनांक 18-08-2003, अधिसूचना सं. 391/नियम/डीएचसी, दिनांक 09-11-2009 एवं अधिसूचना सं. 253/नियम/डीएचसी, दिनांक 21-07-2010 के द्वारा संशोधित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित योजना के पैरा 10 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैरा 10 को हटाया जाता है ।

टिप्पणी : यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

न्यायालय के आदेशानुसार,

संगीता ढींगरा सहगल, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2013

No. F. 711/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) read with Para 12 of Scheme for Appointment of Arbitrators, 1996 notified vide Notification No. 16/Rules/DHC, dated 29-01-1996 and further amended vide Notification No. 174/Rules/DHC, dated 18-08-2003, Notification No. 391/Rules/DHC, dated 09-11-2009 and Notification No. 253/Rules/DHC, dated 23-07-2010, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Delhi hereby makes the following amendment in Para 10 of the said Scheme :—

1. Para 10 shall stand deleted.

Note : This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By Order of the Court,

SANGITA DHINGRA SEHGAL, Registrar General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2013

सं. फा. 21/60/सचिव/एसटीए/2009/44.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतत्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु राज्य परिवहन अधिकरण को निम्न रूप से पुनर्गठित करते है:–

1.	सचिव एवं आयुक्त, परिवहन	—	अध्यक्ष
2.	श्री महेन्द्र यादव, पूर्व विधायक, 114,बागडोला, पालम, नई दिल्ली–45	—	सदस्य
3.	श्री देवेन्द्र यादव, विधायक, बादली (एसी–05)	—	सदस्य
4.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात/मुख्यालय	—	सदस्य
5.	सचिव, एसटीए	—	सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत कुमार गोयल, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2013

No. F. 21/60/Secy./STA/2009/44.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 68 read with clause (41) of section 2 of Motor Vehicles Act 1988, (59 of 1988), the Lieutnant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby re-constitutes the State Transport Authority for the National Capital Territory of Delhi as under:

1.	Secretary-cum-Commissioner, Transport	-	Chairman
2.	Sh. Mahender Yadav,Ex MLA 114, Bagdola, Palam, New Delhi-45	-	Member
3.	Sh. Devender Yadav, MLA, Badli (AC-05)	-	Member
4.	Additional Commissioner of Police, Traffic/HQ	-	Member
5.	Secretary, STA	-	Member - Secretary

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

PUNEET K. GOEL, Secy.-cum-Commissioner (Tpt.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2013/फाल्गुन 6, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 34] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2013/PHALGUNA 6, 1934 [N.C.T.D. No. 280

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सं. फा. सचि./11/75/परिवहन/1997/79.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि राजस्व विभाग के उपायुक्त तथा उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आपातकालीन ड्यूटी पर लाने-ले जाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं के भीतर प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उनके वाहन के ऊपर फ्लैशर सहित नीली बत्ती के उपयोग की अनुमति है।

2. यदि सरकारी वाहन के ऊपर फ्लैशर सहित नीली बत्ती लगी है और वह अधिकारी को लाने-ले जाने के उपयोग में नहीं आ रही है तब नीली बत्ती उपयोग नहीं होगी और काले कवर से ढकी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत के. गोयल, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th February, 2013

No. F. Sectt./11/75/Tpt./1997/79.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies that the official vehicles carrying the Deputy Commissioners of the Revenue Department and Sub-Divisional Magistrates, Government of NCT of Delhi on emergency duties are permitted to use blue light with flasher on the top front of their vehicle within the territorial limits of the NCT of Delhi.

2. In case of the official vehicle fitted with blue light with flasher on the top front of the vehicle is not carrying the officers, then such blue light shall not be used and be covered by black cover.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PUNEET K. GOEL, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

सं. फा. सचि./11/75/परिवहन/1997/78.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 के उप-नियम (1) के परन्तुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को लाने-ले जाने में प्रयुक्त होने वाले सरकारी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं के भीतर प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उनके वाहन के ऊपर फ्लैशर सहित लाल बत्ती के उपयोग की अनुमति है।

(iv) Additional Chief Metropolitan Magistrates		16
(v) Additional Rent Controllers		11
(vi) Administrative Civil Judges		11
(vii) or any other officer who may be designated as Civil Jude (Senior Division)		27
	Sub-Total	96
2. Civil Judges (Junior Division) This will include Civil Judges/Metropolitan Magistrates		386
	Total	482"

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. S. YADAV, Principal Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

सं. फा. 19 (125)/परिवहन/सचि./2007/57.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 176 तथा धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को संशोधन से पूर्व प्रकाशन करके तथा आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उक्त नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.— (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 28 में संशोधन.— दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 28 में "विधिक व्यवसायी" शब्दों के पश्चात् "दावाकर्ता के लिए विधि व्यवसायी/वकील को नियुक्त करने की अनुमति देते समय न्यायाधिकरण उसकी नियुक्ति की शर्तें तय करेगा (वाद का खर्च एवं फीस सहित)। दावाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील के लिए वाद खर्च एवं शुल्क का भुगतान मोटर वाहन के स्वामी या बीमाकर्ता जैसी भी स्थिति हो, दावाकर्ता को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि से अलग होगा" को जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पुनीत कुमार गोयल, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2013

No. F. 19(125)/Tpt./Secit./2007/57.—In exercise of the powers conferred by Section 176 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and sub-section (1) of Section 212, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior publication of the amendments in the Delhi Motor Accidents Claims Tribnal Rules, 2008 on 20th September, 2012 and after taking into consideration objections or suggestions, is pleased to amend the said rules as following, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 28.— In the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008, in rule 28, after the words "legal practitioner." the words "The Tribunal shall while allowing the engagement of the legal practitioner counsel for the claimants shall fix the terms and conditions (including the expenses of litigation and fees) of his or her appointment. Such expenses of litigation and fees for the counsel engaged by the claimants shall be payable separately by the owner or the insurer, as the case may be, of the motor vehicle, over and above the amount awarded by way of compensation to the claimants." shall be inserted.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET K. GOEL, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

No. F. 9(82)/2009/L&B/LA/14621, dated 8-2-2011 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (South), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (South), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Okhla	214 Bigha19 Biswa	67/2	114-11
		68/3	1-09
		68/4	98-19

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2011

सं. फा. 19(52)/परि./सचि./2010/180.—दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 (1962 का 57) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप खंड (ii) के द्वितीय परन्तुक तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय [illegible]

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. चन्द्रमोहन, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2011

No. F. 19(52)/Tpt./Sectt./2010/180.— In exercise of the powers conferred by the Second proviso to sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 (57 of 1962), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby increase, with immediate effect, the rates of tax to be levied upon a motor vehicle described in column (1) of Schedule-I and propelled by the diesel fuel, by an additional amount of twenty-five per cent of the existing annual rates or the amount, as the case may be, specified in column (2) of that schedule.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. CHANDRAMOHAN, Pr. Secy.-cum-Commissioner

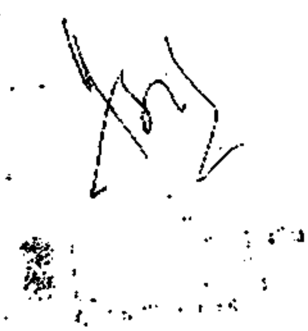

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2008/ज्येष्ठ 19, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 70
No. 92] DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2008/JYAISTHA 19, 1930 [N.C.T.D. No. 70

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य परिवहन प्राधिकरण

(परिवहन विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2008

सं. फा. पीसीओ (एसटीए)/डीटीसी सेल/06/07/पार्ट-II/124.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के कई भाग हैं, जैसा कि क्षेत्रीय प्लान, 2021 के पैरा 2.1 में परिभाषित है, में कांट्रेक्ट कैरिज वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच परस्पर सामूहिक परिवहन समझौता प्रारूप जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ करने का प्रस्ताव करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (5) द्वारा यथापेक्षित इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् इस विषय में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों के साथ विचार किया जायेगा।

इस आशय के लिए आपत्तियाँ या सुझाव सचिव (एसटीए) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने कार्यालय 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जायेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच परस्पर सामान्य परिवहन समझौते का प्रारूप

यह प्रारूप समझौता सचिव एवं आयुक्त (परिवहन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जिसे इसके पश्चात् राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली कहा गया है) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश (जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी/कार्यालय के पदाधिकारी शामिल होंगे) के बीच आज दिनांक ————————, 2008 को किया जाता है।

जबकि प्रभावी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के भागों जैसा क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में परिभाषित है तथा परिशिष्ट–I पर संलग्न है, में विकास के हितों को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन राज्यों के बीच परस्पर सामूहिक समझौते के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्तर्राज्य यातायात के **निर्बाध**[1] एवं **सुचारू** [2] आवागमन की अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र परिशिष्ट–II पर संलग्न है।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज आर्थिक विकास तथा पर्यावरण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों तथा सामान के अन्तर्राज्य यातायात के निर्बाध तथा सुचारू आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच तथा माध्यम से परस्पर सामूहिक समझौता किया जाना आवश्यक है ।

और जबकि इसके पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते से इस विषय के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विषय में किए गए सभी पिछले समझौतों का अधिक्रमण होता है। इस समझौते का प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर इसके द्वारा इस विषय में सभी समझौतों पर निरस्तीकरण का होगा।

अब इस विलेख से सभी पक्ष निम्नलिखित रूप से परस्पर सहमत हैं :–

1. समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। किसी क्षेत्र में वाहनों के आवागमन के लिए निर्दिष्ट न्यायालय के आदेशों/दिशा निर्देशों का **पालन होगा**[3]।

2. **कांट्रेक्ट कैरिज परमिटः**

(i) मोटर कैब/टैक्सी परमिट (गैर अस्थायी परमिट):

ईंधन (सीएनजी) का उपयोग करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में यथासंशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब/टैक्सी के लिए किन्हीं इन राज्यों में जारी परमिटों पर भागीदार राज्यों द्वारा कांट्रेक्ट कैरिज परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे यूरो मानकों का अनुसरण कर स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) उपयोग करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत मोटर कैब/टैक्सियाँ बिना प्रतिबंध के चल सकती हैं तथा यात्री कर और सड़क कर से छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अतिरिक्त कोई परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। केवल सीएनजी ईंधन पर चलने वाले आटो रिक्शा तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत आटो रिक्शा बिना प्रतिबंध के चल सकती है तथा यात्री कर और सड़क कर से

छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अतिरिक्त कोई परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत आटो रिक्शा एवं टैक्सियां जो प्रदेशों की सीमाओं के आर–पार आती जाती रहती हैं उनके सुगम आवागमन के लिये उन्हें कलर कोड तथा लोगो दिया जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत टैक्सियों/आटो रिक्शाओं को एनसीआर सीमा में प्रविष्टि के लिये किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। तथापि इन वाहनों के परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर करवाए जाने आवश्यक होंगे। दिल्ली में अन्तर्राज्यीय आटो का आवागमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या में छूट की सीमा के अनुसार होगा।

(ii) मोटर कैब को छोड़कर कांट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गैर अस्थायी परमिट) :

मोटर कैब को छोड़कर अन्य कांट्रेक्ट कैरिज वाहनों जिसमें शिक्षा संस्थानों की बसें शामिल हैं, जो विद्यार्थियों शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को इसकी गतिविधियों के संबंध में, स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने वाले (सीएनजी), एनसीआर में यूरो नियमों का पालन करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा घटक क्षेत्र में परवर्ती संशोधन, यदि कोई है, एनसीआर में पंजीकृत वाहनों के परमिटों को इन राज्यों द्वारा जारी किए जाने पर प्रतिभागी राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे कांट्रेक्ट कैरिज (मोटर कैब को छोड़कर) जो एन० सी० आर० में पंजीकृत हैं तथा सीमा के आर–पार चलाए जा रहे हैं उनको परस्पर समझौते के अनुसार एक रंग कोड तथा लोगो दिया जायेगा ताकि उनकी शीघ्रता से पहचान हो सके। इन सभी वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय के समय–समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे।

(iii) कांट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अस्थायी परमिट):

इन राज्यों के परिवहन अधिकरणों द्वारा अन्य राज्यों की सहमति के बिना, यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार कितनी भी संख्या में परमिट जारी किए जा सकते हैं । परमिट में दौरा कार्यक्रम का विवरण, जाने तथा वापिस आने की तिथियाँ, जिन स्थानों की यात्रा में यात्रा की जानी है उनका क्रम, प्रत्येक स्थान पर पहुंचने तथा प्रस्थान की सही तिथि का विवरण दिया जायेगा। इन परमिटों में वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची भी दी जायेगी। इन सभी वाहनों में समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे। ये वाहन एन० सी० आर० में प्रवृत्त यूरो नियमों के अनुसार स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) का प्रयोग करेंगे।

3. अस्थायी परमिटों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) विभिन्न प्रकार के अस्थायी परमिटों (कांट्रेक्ट कैरिज) के लिए प्रत्येक मास अलग सूची जारी करके उसे अन्य राज्यों द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त या संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जायेगा।

4. कराधान :

(1) सभी वाहनों (कांट्रेक्ट) की लाइसेंस/परमिट फीस/कर प्रतिहस्ताक्षर फीस प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपनी नीतियों के अनुसार निश्चित की जायेंगी।

(2) कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों पर **एकल कर4** एवं समान कर दरें लागू होंगी। जब तक समान दरों पर निर्णय नहीं हो जाता कर संग्रहण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

(3) अस्थायी परमिट प्रवृत्त नियमों के अनुसार **दुहरे कराधान5** के आधार पर जारी किए जायेंगे तथा वाहनों को अन्य समझौते वाले राज्य को देय कर का भुगतान करना होगा।

(4) इस समझौते के अन्तर्गत जारी अस्थायी परमिटों के विषय में सूचना परमिट जारी करने वाले समझौते वाले राज्यों के परिवहन प्राधिकरण को यथाशीघ्र प्रदान की जायेगी जिसमें वाहन के स्वामी का विवरण, वाहन का पंजीकृत लदान भार/प्रदान किए गए परमिट का मार्ग तथा परमिट की वैधता की अवधि बताई जाएगी। वह सूचना राज्य परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के नाम पर दी जायेगी।

5. सामान्य

(i) पारस्परिक राज्य, इन राज्यों में अन्तर्राज्जीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के कर टोकनों, ड्राइवर तथा कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन वाहन अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य द्वारा संबंधित नियमों के अधीन जारी फिटनेस प्रमाण पत्र को इस समझौते के अनुसार मान्यता प्रदान करेंगे।

(ii) यह समझौता अगले दस वर्षों तक या घटक राज्यों द्वारा किसी नये समझौते के होने की अवधि, इनमें जो पहले हो, तक वैध होगा। यदि आवश्यकता पड़े समझौते की समीक्षा पाँच वर्षों के पश्चात् की जा सकती है। जबकि अन्य प्रासंगिक विषयों का समाधान समूह की वार्षिक बैठक में हल किया जा सकता है इन समझौते के दायरे में परिवर्तनों के लिए पुनः अधिसूचना वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

(iii) पारस्परिक समझौते की शर्तों के अंतर्गत जारी परमिट पर सामान्यतः क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण या संबंधित राज्य की राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। बशर्ते कि उस राज्य के प्रतिहस्ताक्षर का शुल्क तथा अन्य करों का भुगतान कर दिया गया है। यह केवल कांट्रेक्ट कैरिज बसों/मिनी बसों के मामले में वैध होगा। मोटर कैब/टैक्सी तथा आटो रिक्शा के लिए कोई कर (सवारी/सड़क कर) देय नहीं होगा।

(iv) एन०सी०आर० राज्यों द्वारा निश्चित लदान भार की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(v) जब तक इस विषय पर कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए जाते सी०एन०जी० वाहनों में पन्द्रह वर्ष तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए आठ वर्ष होगी।

(vi) राज्य एन०सी०आर० जिलों के ड्राइवरों, वाहन पंजीकरण तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का डाटा कम्प्यूटरीकृत करने के लिए वरीयता के आधार पर कार्यवाही करेंगे। राज्य आर०एफ०आई०डी० योग्य पंजीकरण प्लेटों के प्रयोग, पुरानी पंजीकरण प्लेटों को चरणबद्ध रूप से बदलने, नये वाहनों में जी०पी०एस० वाहन ट्रेकिंग प्रणाली लगाने, परिवहन संबंधी विभिन्न करों को जमा करने के लिए ई-भुगतान के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु विशेष प्रयास भी करेंगे। ड्राइवरों की अंगुली- निशानों की बार–कोडिंग भी तैयार की जाएगी।

इसके साक्ष्य के रूप में इसके पक्षों ने इस समझौते पर सर्वप्रथम उपरोक्त .... दिन तथा वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर
राजस्थान के राज्यपाल की तरफ से और उसके लिये

सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)
परिवहन विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से और उसके लिये

प्रधान सचिव (परिवहन)
परिवहन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से और उसके लिये

साक्षी:

सदस्य सचिव
एनसीआर योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधान सचिव (परिवहन)
परिवहन विभाग
हरियाणा सरकार
हरियाणा के राज्यपाल की तरफ से और उसके लिये

साक्षी:

निदेशक (यूटी)
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

1 अंतर्राज्यीय यातायात का बेरोकटोक परिचालन उन वाहनों का बैरियर/सीमा पर बिना रोके परिचालन है जो एनसीआर के जिलों में पंजीकृत हैं।

2 अंतर्राज्यीय यातायात का निर्बाध परिचालन सवारी वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना परिवहन–प्रकार बदले अथवा यात्रा के प्रकारों में त्वरित व प्रभावी अंतरण के परिचालन है।

3 माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा एनसीआर में यातायात के परिचालन के संबंध में समय–समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एनसीआर क्षेत्र में किया जाएगा और यह इस अनुबंध में सम्मिलित राज्यों पर भी लागू होगा, चाहे उनका उल्लेख हो या न हो।

4 एकल बिंदु कराधान संबंधित राज्यों को केवल सवारी कर दिया जाएगा।

5 द्वि बिंदु कराधान – संबंधित राज्यों को पथ–कर तथा सवारी कर, दोनों ही दिए जाएंगे।

1

परिशिष्ट I

क्षेत्रीय योजना–2021 का अनुच्छेद 2.1
एनसीआर के संघटक क्षेत्र

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग कि.मी.)। यह संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र का 4.41% है।

ख) हरियाणा का उपक्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गाँव, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, झज्झर, मेवात तथा पानीपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 30.33% (13,413 वर्ग कि.मी.) तथा एनसीआर क्षेत्र का 39.95% है।

ग) राजस्थान का उपक्षेत्र जिसमें अलवर जिला सम्मिलित है। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 2.29% (7,829 वर्ग कि.मी.) तथा एनसीआर क्षेत्र का 23.32% है।

घ) उत्तर प्रदेश का उपक्षेत्र जिसमें मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तथा बागपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 4.50% (10,853 वर्ग कि.मी.) तथा एनसीआर क्षेत्र का 32.32% है।

इस प्रकार एनसीआर का कुल क्षेत्र 33,578 वर्ग कि.मी. है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना–2021 : संघटक क्षेत्र के मानचित्र 2.1 में निर्दिष्ट है।

2195 DG/08-2

परिशिष्ट II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
क्षेत्रीय योजना–2021: चुनाव क्षेत्र

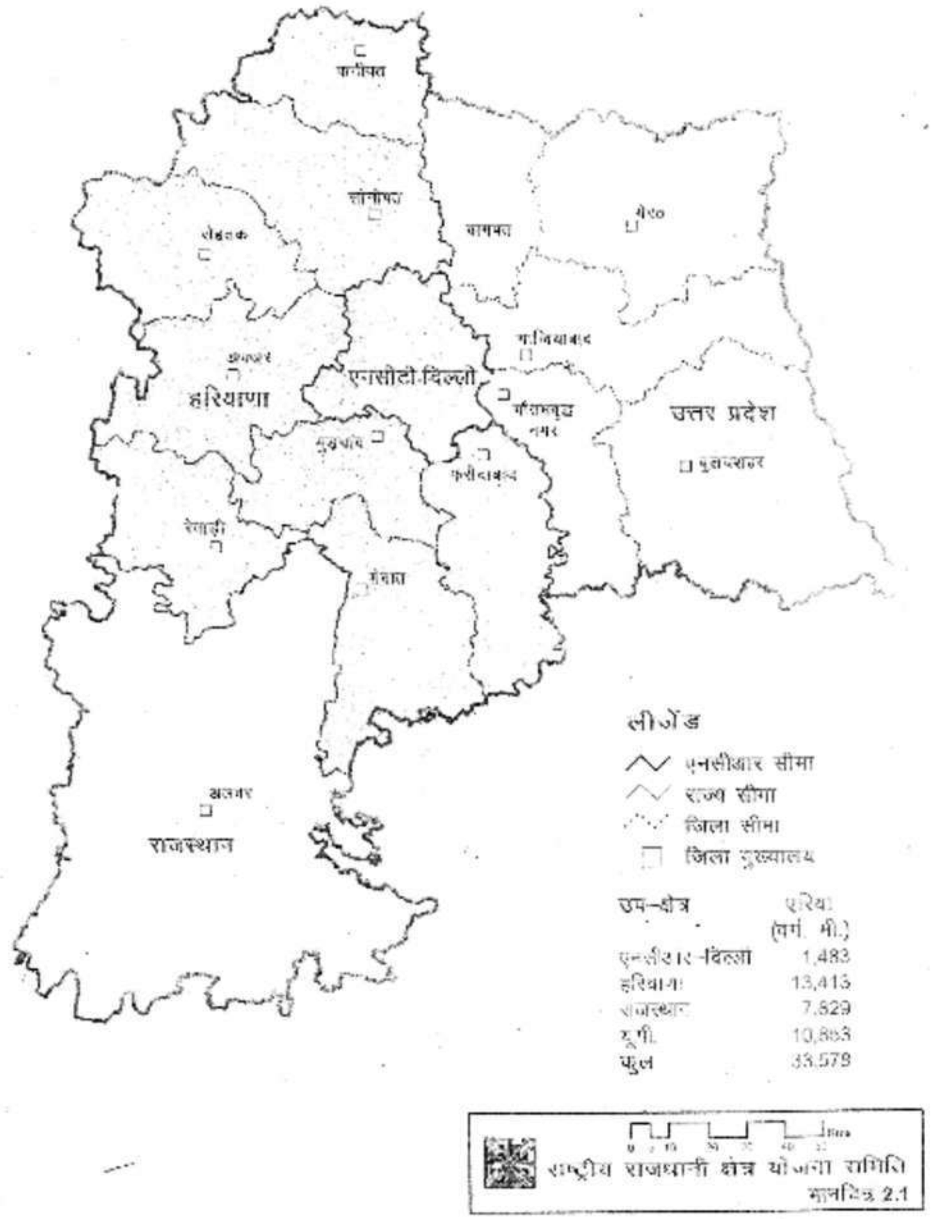

STATE TRANSPORT AUTHORITY

(Transport Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th, June 2008

No. F. PCO (STA)/DTC Cell/06/07/Pt. II/124.—The draft of Reciprocal Common Transport Agreement among Governments of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of Contract Carriages in National Capital Region comprising parts of adjoining States to National Capital Territory of Delhi as defined in the Para 2.1 of the Regional Plan - 2021 which the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi proposes to make with Governments of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh is hereby published as required by sub-section (5) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) for information of all those who may likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft, together with any objection, or suggestions that may be received thereto, will be taken into consideration on or after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Delhi Gazette.

The objections or suggestions in this behalf, shall be received by Secretary (STA), Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi in his office at 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054, during working hours.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

DRAFT RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF DELHI, HARYANA, RAJASTHAN AND UTTAR PRADESH

This draft agreement is made on this day of ________ 2008 among the President of India acting through Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as N.C.T. of Delhi), Haryana, Rajasthan and U.P. (which expression shall include their successor/assigns in office).

Whereas in the interest of facilitating development of an effective National Capital Region (NCR) comprising parts of adjoining States to NCT i.e. Rajasthan, U.P. & Haryana as defined in the Para 2.1 of Regional Plan – 2021 and is at Annexure-I, there is dire need for **unrestricted**[1] and **seamless**[2] movement of interstate traffic in the National Capital Region i.e. among these States by a reciprocal common agreement. A map showing constituents area of National Capital Region is at Annexure-II;

Whereas, it is expedient in view of the rapid economic development and environment of the National Capital Region to encourage unrestricted and seamless movement of interstate traffic of the passengers and goods in the NCR and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal common agreement among and through the constituent States of NCR i.e. NCT of Delhi, Haryana, Rajasthan and U.P.;

And whereas the parties hereto agree that this agreement supersedes all the previous agreements on the subject entered into between them or among them for NCR. This Agreement shall have an overriding effect over all the other Agreements hereby applicable to NCR in this regard.

NOW THIS DEED WITNESSES and the parties hereby mutually agree as follows:-

1. This agreement shall come into force with immediate effect. The Court orders/directions specific to the movements of vehicle in an area will have to be **obeyed**[3].

2. **Contract Carriage Permits**

(i) Motor Cab/Taxi Permits (Non-Temporary Permits):

Contract carriage permits for motor cab/taxi using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in para 2.1 of Regional Plan-2021 and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. Motor cabs/Taxis using clean

fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR, registered in NCT of Delhi, sub-regions of Haryana, U.P. and Rajasthan comprising of National Capital Region area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 and subsequent modification in the constituent area, if any, may move unrestricted and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. Auto rickshaws operating only on CNG fuel and registered in NCT of Delhi and Sub-regions of Haryana, U.P. and Rajasthan constituting National Capital Region as defined in Para 2.1 of Regional Plan 2021 and subsequent modification in the constituent area, if any, may move unrestricted and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. The auto rickshaws and taxis registered in NCR and plying across the border would be given a colour code and logo for easy recognition. There would not be any kind of tax for taxis and auto rickshaws registered in NCR entering into any area within NCR boundary. However, countersigning of the permits for these vehicles would be required. Interstate movement of auto rickshaws in Delhi would be subject to the relaxation of ceiling on its numbers by the Hon'ble Supreme Court.

(ii) Contract Carriage Permits other than Motor cabs (Non Temporary Permits under the motor Vehicle Act, 1988):

Contract carriage permits for vehicles other than motor cabs, including educational institutional buses used solely for the purpose of transporting students/ staff of the educational institutions in connection with any of its activities, using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. The contract carriages (other than motor cabs) registered in NCR and plying across the border would be given a colour code and logo for easy recognition on mutual agreement basis. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time.

(iii) Contract Carriage Permits (Temporary Permits under the motor Vehicles Act, 1988):

Permits may be issued by the Transport Authority of these States irrespective of number without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the commuters/ passengers. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys, the order in which the various places shall be visited along with and indication of the appropriate date of the arrival and the departure

2195-DG/08-3

from each such place. These permits shall also contain list of passengers traveling in the vehicle. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time. Those vehicles shall use clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR.

3. **General Provisions for Temporary Permits**

(i) Separate list of different types of Temporary Permits (Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioners or concerned competent authority of each State by the other State.

4. **Taxation:**

(1) The license/permit fee/tax/countersignature fee for all the carriages (Contract) shall be fixed by the members of all the participating states as per their own policies.

(2) **Single point tax**[4] and uniform tax rates shall apply to vehicles covered by contract carriage permits. Till uniform rates are decided, existing arrangements for collection of taxes may continue.

(3) Temporary permits shall be issued on the basis of **double point taxation**[5] according to rules in force and the vehicles shall be liable to pay taxes due to the other reciprocating State.

(4) Information regarding temporary permits issued under this agreement shall, as soon as possible, be given by the Transport Authority, of the reciprocating State issuing the permit stating details of vehicle owner(s) registered laden weight of the vehicle/route for which the permit is granted and the period of validity of the permit. This information shall be given in the name of the Transport Commissioner or the Secretary, State Transport Department, as the case may be

5. **General**

(i) The reciprocating States shall accord recognition of the Tax tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorization and the certificate of fitness issued under the relevant rules of each of these States in respect of vehicles operating on Interstate routes, in accordance with this agreement.

(ii) This agreement shall be valid for next ten years or till such time a new Agreement is signed among the constituent States which ever is earlier. The Agreement can be reviewed after five years, if need arises. While other peripheral issues can be sorted out in the annual meeting of the Group, a re-

notification for the changes within the framework of the Agreement can then be done on annual basis.

(iii) Permits issued within the terms of reciprocal agreement should normally be countersigned immediately on presentation before the Regional Transport Authority or the State Transport Authority of the concerning States, subject to payment of countersignature fee and other taxes due to that States for the time being. This is valid only in case of Contract Carriage buses/ mini buses. In case of Motor cabs/ Taxis & Auto-rickshaws no taxes (passenger/road tax) shall be payable.

(iv) Laden weight restriction fixed by NCR States shall not be exceeded.

(v) The age of the vehicle shall be limited to fifteen years for CNG vehicles and eight years for diesel operated vehicles till any further directions are issued in this regard.

(vi) The States shall take initiative to computerize the database of drivers, vehicle registration and other related information in the NCR districts on priority basis. States should also endeavour to implement the usage of RFID enabled registration plates, replace old registration plates in phased manner, GPS vehicle tracking system in new vehicles, expedite the implementation of e-payment for depositing various taxes related to transportation and ensure bar-coding of finger-prints of drivers.

IN WITNESS THERE OF, the parties hereto have signed this agreement on ________ day and year first above written.

Transport Commissioner,
Transport Department
Government of Rajasthan, Jaipur
For and on behalf of the Governor of Rajasthan

Secretary-cum-Commissioner (Transport),
Transport Department,
Government of NCT of Delhi,
For and on behalf of the Lt. Governor NCT of Delhi

Principal Secretary (Transport)
Transport Department
Government of Uttar Pradesh,
For and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh

Principal Secretary (Transport),
Transport Department,
Government of Haryana,
For and on behalf of the Governor of Haryana

2195 DG/08-4

Witness:

Member Secretary
NCR Planning Board
Ministry of Urban Development
Government of India

Witness:

Director (UT)
Ministry of Urban Development
Government of India

[1] Unrestricted movement of interstate traffic is the movement of vehicles registered in the NCR districts without stopping at barriers/borders.

[2] Seamless movement of interstate traffic is the movement of passenger vehicles from one State to another State without changing the mode of travel or quick and efficient transfer among modes in performance of the journey.

[3] Directions/Orders given by the Hon'ble supreme/High Court related to movements of the traffic in the NCR on various occasions shall be enforced in NCR irrespective of their mention as applicable to the State concerned in this Agreement.

[4] Single point taxation - only passenger tax to be paid to the concerned State.

[5] Double point taxation - road tax and the passenger tax both to be paid to the concerned State

ANNEXURE - I

Para 2.1 of Regional Plan - 2021

CONSTITUENT AREAS OF NCR

The Constituent Areas of the National Capital Region are as under.

a) National Capital Territory of Delhi (1,483 sq. kms.). This accounts for 4.41% of the total area of NCR.

b) Haryana Sub-region comprising of Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Sonepat, Rewari, Jhajjar, Mewat and Panipat districts. This accounts for 30.33% (13,413 sq. kms.) of the area of the State and 39.95% of the area of NCR.

c) Rajasthan Sub-region comprising of Alwar district. The area is 2.29% (7,829 sq. kms.) of the total area of the State and 23.32% of the area of NCR

d) Uttar Pradesh Sub-region comprising of five districts namely, Meerut, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr and Baghpat. This accounts for 4.50% (10,853 sq. kms.) of the area of the State and 32.32% of the area of NCR.

Thus, the total area of NCR is 33,578 sq. kms. as indicated in the Map 2.1 National Capital Region Regional Plan-2021: Constituent Areas.

ANNEXURE - II

NATIONAL CAPITAL REGION
REGIONAL PLAN-2021: CONSTITUENT AREAS

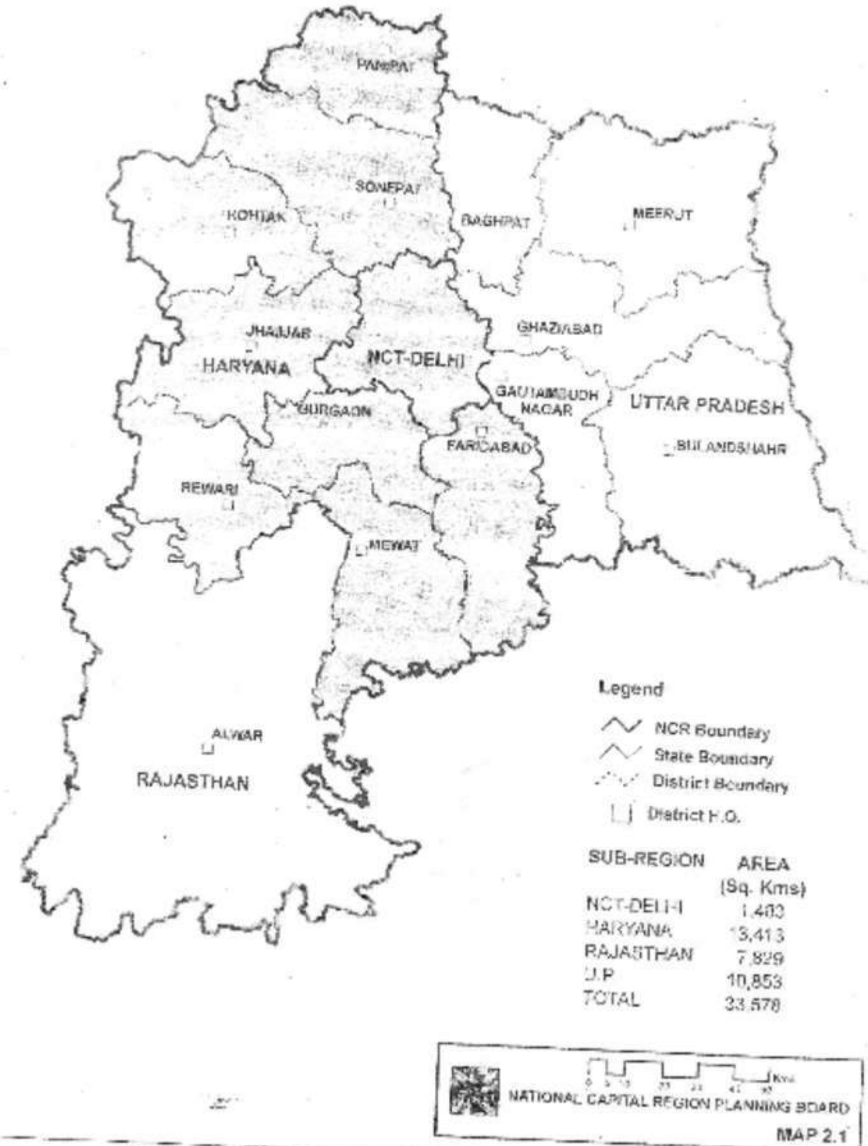

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.